

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 722/2023

थाना से उत्पन्न मामला संख्या 301 वर्ष 20003 थाना कोतवाली जिला पटना

=====

मुन्ना सिंह @ अजय शर्मा चंद्रिका के पुत्र सिंह गाँव के निवासी-सिमर, पीएस-जानीपुर, जिला पटना

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, बिहार के माध्यम से राज्य नियुक्ति बोर्ड
3. संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) गृह विभाग (जेल) बिहार, पटना बिहार
4. सचिवीय कानून विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जांच विभाग, बिहार, पटना बिहार
6. सहायक निरीक्षक सामान्य, जेल और सुधार सेवा, बिहार, पटना बिहार
7. द जेल सुपरिन्टेन्डेंट, मॉडल सेंट्रल जेल, बेर, पटना बिहार

..... उत्तरदाता

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता श्री कनिका, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री सुमन कुमार झा, ए. सी. से ए. ए. जी-3

=====

भारतीय दंड संहिता---धारा 364, 364 ए, 365, 34, 120 बी---जेल अधिनियम, 1894---धारा 59, 433 ए---बिहार जेल मैनुअल, 2012---नियम 529---याचिकाकर्ता इन 16 वर्षों से अधिक समय तक शारीरिक हिरासत और छूट—20 वर्षों से अधिक समय पूरा हुआ—परिवीक्षाधीन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पटना, ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश, जेल अधीक्षक, मॉडल सेंट्रल जेल, बेर, पटना ने याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की—प्रस्ताव राज्य सजा माफी बोर्ड को विचार के लिए भेजा गया। *आदेश:* राज्य सजा माफी बोर्ड का निर्णय रद्द कर दिया गया—समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला बोर्ड को भेजा गया—बोर्ड को दो महीने की अवधि के भीतर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय श्री जस्टिस वी. पी. यू. एल. एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा

ओरल जजमेंट

(प्रति:माननीय श्री जस्टिस वी. पी. यू. एल. एम. पंचोली)

तारीख: 08-04-2024

वर्तमान रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24.11.2023 के आदेश के अनुसार हमारे समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दे का निर्णय व्यापक पटना उच्च न्यायालय सी. आर. द्वारा किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश की दो अलग-अलग पीठों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी निर्णय को ध्यान में रखते हुए।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता-कैदी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने राज्य सजा माफी बोर्ड (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) द्वारा लिए गए दिनांक 09.09.2022 के निर्णय को चुनौती दी है। विवादित निर्णय द्वारा, बोर्ड ने याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता का मामला गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10.12.2002 के खंड (iv) (k) के तहत आता है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए और इस तरह प्रतिवादियों को समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए।

3. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:-

3.1. याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा 2015 के सत्र परीक्षण संख्या 816 में भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए, 34 और 120 बी (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास से गुजरने और 50, 000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता को भी दोषी ठहराया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत सजा

सुनाई गई है और उसे सात साल के कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

3.2. याचिकाकर्ता का मामला है कि वह 16 साल से अधिक समय से शारीरिक हिरासत में है और छूट के साथ उसने 20 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक अनुरोध के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके मामले को समय से पहले रिहा करने के लिए विचार किया जाए। परिवीक्षाधीन अधिकारी ने दिनांक 261 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की सिफारिश इस आधार पर की कि ग्रामीणों और रिश्तेदारों की मदद से याचिकाकर्ता के पुनर्वास की पूरी संभावना है।

3.3. यह कहा गया है कि पटना के पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ निचली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के मामले को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की थी। निर्धारित अधिकारियों से आवश्यक सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, जेल अधीक्षक, मॉडल केंद्रीय जेल, बेउर, पटना ने 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 816 के संबंध में याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा।

3.4. याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि बोर्ड ने याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता का मामला गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10.12.2002 के खंड (iv) (k) के तहत आता है। याचिकाकर्ता की यह भी शिकायत है कि याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर निर्णय लेते समय बोर्ड ने इस मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया **प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य और अन्य ने 2022 (1) पी. एल. जे. आर. 217 में रिपोर्ट किया। द.** इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है।

4. हमने याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री कनिका की सहायता से श्री राजेश रंजन और उत्तरदाताओं की ओर से ए. ए. जी.-3 के लिए एसी श्री सुमन कुमार झा को सुना है।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ:

5.1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि माफी अधिसूचना का खंड (iv) (k) याचिकाकर्ता के मामले को अपने दायरे में नहीं लेगा और बोर्ड के पास अपराध के वर्गीकरण की कोई वैधानिक प्रकृति और वैधानिक स्वाद वाले उस प्रभाव के लिए एक दिशानिर्देश के बिना खंड (iv)

(k) के दायरे को बढ़ाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह बताया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 364 ए/34 के तहत दोषी के मामले का माफी अधिसूचना के खंड (iv) (के) में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

5.2. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जेल अधिनियम, 1894 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 59 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, बिहार जेल नियमावली के नियम 529 को दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसे पहले बिहार और उड़ीसा जेल नियमावली के रूप में जाना जाता था जो पहली बार वर्ष 1927 में प्रकाशित हुआ था। जेल नियमावली को अधिनियम की धारा 59 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हटा दिया गया था, बिहार जेल नियमावली 2012 (इसके बाद '2012 की नियमावली' के रूप में संदर्भित) को बिहार राज्य में जेल के प्रशासन के लिए तैयार किया गया था। 2012 की नियमावली का अध्याय '15' भाग 'बी' समय से पहले रिहाई से संबंधित मामले से संबंधित है। इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 की नियमावली के नियम 481 में उन कैदियों की श्रेणी का प्रावधान है जो सजा की समीक्षा और समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए पात्र होंगे, धारा 433 ए के तहत आने वाले कैदियों की श्रेणियों को दिनांक 1 की संशोधन अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिस्थापित प्रावधान के बाद, याचिकाकर्ता का मामला खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत नहीं आएगा।

5.3. विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, प्रतिवादी बोर्ड ने उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @प्रदीप के मामले में यह अदालत कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) के साथ-साथ राजो @राजवा @राजेंद्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मंडल बनाम बिहार राज्य और अन्य (लिखित याचिका) (आपराधिक) नहीं। 252/2023) .

5.4. इस स्तर पर यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक बार फिर इसी तरह का निर्णय लिया है अजीत कुमार मिश्रा बनाम के मामले में दृष्टिकोण बिहार राज्य और ओआरएस. 2023 (5) बीएलजे 783 में रिपोर्ट किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी मामले में, इस न्यायालय ने प्रतिवादी बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया और संबंधित याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ मामले को बोर्ड को भेज दिया गया।

5.5. इस स्तर पर, विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक हलफनामे और उक्त हलफनामे के साथ संलग्न दस्तावेजों का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

27.11.2023 पर आयोजित बैठक में, प्रतिवादी बोर्ड ने इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया और उसके बाद उक्त याचिकाकर्ता को छूट का लाभ दिया।

5.6. इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि बोर्ड द्वारा लिए गए विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को बोर्ड को वापस भेज दिया जाए।

6. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण:-

6.1. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि प्रतिवादी बोर्ड द्वारा विवादित निर्णय लेते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसलिए, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उत्तरदाता संख्या 3, 6 और 7 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह इंगित किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीआर में पारित 05.08.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के सह-दोषी चित्रंजन कुमार @ बबलू बनाम द्वारा दायर 2021 का डब्ल्यू. जे. सी. सं. 1330। बिहार राज्य और अन्य। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता, चित्रंजन कुमार उर्फ बबलू के सह-दोषी को याचिकाकर्ता के साथ आई. पी. सी. की धारा 364, 364 ए, 34 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संबंधित निचली अदालत द्वारा पारित उक्त सामान्य आदेश द्वारा भी दोषी ठहराया गया था और सह-दोषी की समय से पहले रिहाई के लिए इसी तरह के प्रस्ताव को नीति के उसी खंड पर भरोसा करते हुए बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था और जब सह-दोषी ने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. को प्राथमिकता दी थी। उक्त निर्णय को चुनौती देने वाली इस न्यायालय के समक्ष याचिका, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। इस प्रकार, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने सह-दोषी द्वारा दायर इसी प्रकार की याचिका को इसी आधार पर खारिज कर दिया है, तो वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6.2. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने 2002 की नीति का उल्लेख किया है, जिसकी प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है और उसके बाद तर्क दिया गया है कि फिरौती के लिए अपहरण का अपराध बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराध जैसे जघन्य अपराध है और उक्त कारण से बोर्ड ने याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की तारीख 17.09.2008 है और इसलिए, उसका मामला अधिसूचना संख्या 3106

दिनांकित 10.12.2002 के दायरे में आणा न कि 2012 या 2016 की नीति के तहत जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया था।

6.3. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस अदालत ने बोर्ड को **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, बोर्ड द्वारा उक्त कैदी के पक्ष में निर्णय लिया गया है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने सह-दोषी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, तो बोर्ड के लिए अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

6.4. इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

7. चर्चा:-

7.1. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रचार किए गए निवेदन पर विचार किया है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। अभिलेखों से यह पता चलेगा कि याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 364 ए, 365, 34 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए संबंधित निचली अदालत द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया गया है। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता 16 साल से अधिक समय से शारीरिक हिरासत में है और छूट के साथ उसने 21 साल से अधिक पूरे कर लिए हैं। यह रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने समय से पहले रिहाई के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। परिवीक्षाधीन अधिकारी ने 30.08.2021 दिनांकित पत्र संख्या 261 के माध्यम से याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की। इसी तरह, पटना के पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ निचली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के मामले की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की। निर्धारित अधिकारियों से आवश्यक सिफारिश प्राप्त करने के बाद, जेल अधीक्षक, मॉडल केंद्रीय जेल, बेउर, पटना ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए बोर्ड को अपने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के लिए प्रस्ताव भेजा। 2002 के सत्र परीक्षण सं. 816 के संबंध में समयपूर्व रिहाई।

7.2. बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों में विवादित निर्णय के माध्यम से याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया:-

“1. फिरौती के 01 व्यक्ति का अपहरण किया गया । 2. गृह (विशेष) विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 3108 दिनांक 10.12.2002 की कंडिका-(iv)(क) में प्रावधानिक है कि बलात्कार डकैती, आतंकवादी अपराधों, आदि जैसे अपराधों को सिद्धदोष बंदी समय पूर्व रिहाई के लिए विचार योग्य नहीं हो सकेगे ।

3. विचारोपरांत असमय कारा का प्रस्ताव अस्वीकृत करने का अनुशंसा किया जाता ।”

7.3. इस प्रकार, बोर्ड द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय से यह पता चलता है कि बोर्ड ने अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10.12.2002 और विशेष रूप से खंड (iv) (k) पर भरोसा किया है। उक्त खंड के प्रासंगिक भाग को तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला जा रहा है:-

“(iv) समय-पूर्व रिहाई के लिए अयोग्यता

निम्नलिखित श्रेणी के सिद्धदोष बंदी, जो आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे हो, समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार-योग्य नहीं हो सकेंगे- ।

(क) बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराधो, आदि जैसे अपराधों के सिद्धदोष बंदी ।

(ख) वैसे बंदी, जो पूर्व चिंतन किये गये विषयों एवं सुनियोजित ढंग से हत्याएं आयोजित करने के लिए सिद्धदोष हो ।

(ग) वैसे पेशेवर हत्यारे, जिन्हे भाड़े पर हत्या कराने का दोषी पाया गया हो ।

(घ) वैसे सिद्धदोष बंदी जो तत्कालीन कार्य में अंतर्लिप्त रहते हुए हत्या करता हो अथवा कर्तव्य पर रहने वाले लोक सेवकों की हत्या का दोषी ।”

7.4. इस स्तर पर हम यह भी देखना चाहेंगे कि अधिनियम की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, बिहार सरकार ने पहली जेल नियमावली के स्थान पर 2012 की नियमावली तैयार की है। 2012 की नियमावली का अध्याय 15 दो भागों में है। जबकि भाग-ए रिलीज के सामान्य प्रावधान से संबंधित है, भाग 'बी' में नियम 474 से 487 शामिल हैं, जो समय से पहले रिलीज के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। यह भाग माफी बोर्ड के गठन, बोर्ड की बैठकों, समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव से निपटने के प्रावधानों का प्रावधान करता है। अपवाद सूची में संहिता की धारा 433 ए के तहत आने वाले कैदियों की श्रेणी ।

7.5. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि संहिता की धारा 433 ए के तहत आने वाले दोषियों की श्रेणियों को संशोधन अधिसूचना संख्या 3194 दिनांक 26.05.2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस मामले के उद्देश्य के लिए, पटना उच्च न्यायालय सी. आर. की अधिसूचना द्वारा लाए गए परिवर्तनों की सराहना करने के लिए। 26.05.2016 अपवाद सूची में, हम 2012 की नियमावली के नियम 481 का उल्लेख और पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे:-

“481. निम्नलिखित श्रेणियों के कैदी बोर्ड द्वारा सजा की समीक्षा और समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे:

i प्रत्येक दोषी कैदी, चाहे वह आजीवन कारावास की सजा से गुजर रहा हो या महिला हो और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के प्रावधानों के दायरे में आता हो, 14 साल के वास्तविक कारावास की सजा काटने के तुरंत बाद जेल से समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के योग्य होगा। 2 [धारा 433 ए Cr.P.C के तहत आने वाले दोषी कैदियों की निम्नलिखित श्रेणियां, जो आजीवन कारावास से गुजर रहे हैं, छूट सहित 20 साल के कारावास से गुजरने के बाद भी समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे:]

1 [(क) ऐसे दोषी जो बलात्कार, हत्या के साथ बलात्कार, हत्या के साथ डकैती, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अपराध से जुड़ी हत्या, दहेज के लिए हत्या, 14 साल से कम उम्र के बच्चे की हत्या, कई हत्या, जेल के अंदर दोषी ठहराए जाने के बाद हत्या, पैंरोल के दौरान हत्या, आतंकवादी घटना में हत्या, तस्करी अभियान में हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं।

(ख) गैंगस्टर्स, अनुबंध हत्यारों, तस्करों, नशीली दवाओं के तस्करों, रैकेट चलाने वालों को हत्या करने के साथ-साथ पूर्व-ध्यान और असाधारण हिंसा या विकृति के साथ की गई हत्या के अपराधियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई।

ग) जिन दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है।

ii. अन्य सभी दोषी पुरुष कैदी जो धारा 433 ए Cr.PC के दायरे में नहीं आते हैं, पटना उच्च न्यायालय सी. आर. से गुजर रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा को समय से पहले रिहाई के लिए माना जाएगा, जब वे छूट सहित कम से कम 14 साल के कारावास की सजा काट चुके होंगे, लेकिन केवल 10 साल के वास्तविक कारावास के पूरा होने के बाद यानी बिना छूट के।

iii. आजीवन कारावास की सजा से गुजर रही धारा 433 ए Cr.PC के दायरे में नहीं आने वाली महिला कैदियों को छूट सहित कम से कम 10 साल के कारावास की सजा काटने के बाद, लेकिन 7 साल के वास्तविक कारावास के पूरा होने के बाद ही, यानी बिना छूट के, समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जाएगा।

3 [(iv) ऐसे मामलों में जिनमें आजीवन कारावास की सजा यह निर्दिष्ट करके दी गई है कि दोषी को बिना किसी छूट या परिवर्तन के अपने जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, दोषी को छूट या परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जाएगा।]

3 [(v) ऐसे मामलों में जिनमें आजीवन कारावास की सजा यह निर्दिष्ट करके दी गई है कि दोषी को 20 वर्ष या 25 वर्ष की निश्चित अवधि पूरी होने तक छूट या परिवर्तन देकर रिहा नहीं किया जाएगा या इसी तरह, किसी दोषी को तब तक छूट या परिवर्तन नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह सजा में निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर लेता।]”

7.6. इस स्तर पर, हम उपरोक्त नियमावली के नियम 478 का भी उल्लेख करना चाहेंगे जो निम्नानुसार प्रदान करता है:-

“478. किसी विशेष कैदी की समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करते समय बोर्ड राज्य सरकार या अदालतों द्वारा निर्धारित सजा की माफी के सामान्य सिद्धांतों के साथ-साथ मामले में पहले के उदाहरणों को भी ध्यान में रखेगा। बोर्ड के समक्ष सर्वोपरि विचार बड़े पैमाने पर समाज का कल्याण है। बोर्ड आम तौर पर किसी कैदी की समय से पहले

रिहाई को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि पुलिस ने उसकी रिहाई की सिफारिश नहीं की है। बोर्ड उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा जिनमें कैदी द्वारा अपराध किया गया था; क्या उसे फिर से इसी तरह के या अन्य अपराध करने की प्रवृत्ति है; दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उसकी रिहाई पर आगे हिंसा या अपराध की संभावना, पीड़ित सुलह कार्यक्रमों में प्रगति और दोषी को समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में पुनः प्राप्त करने की संभावना। ”

7.7. 2012 की नियमावली में निहित उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि नियम 481 (ए) के तहत 2012 की प्रतिस्थापित नियमावली में 'आदि' जैसा कुछ नहीं है। ' या 'एड', जो अधिसूचना दिनांक 10.12.2002 के खंड (iv) (के) में मौजूद था। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि प्रत्यर्थी बोर्ड ने 'आदि' शब्द पर निर्भरता रखी है। ' उक्त खंड के अधीन। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि पहले के अवसरों पर आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत दोषियों के मामले को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया गया था, हालांकि, कुछ मामलों में, प्रतिवादी बोर्ड ने अधिसूचना दिनांक 10.12.2002 के खंड (iv) (के) के तहत शरण लेते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

7.8. प्रदीप कुमार के मामले में यह अदालत **श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** (ऊपर) ने विचार किया है अपवाद सूची वाली अधिसूचना। उक्त मामले में याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 364 ए और 379/34 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उक्त मामले में इस अदालत ने उक्त रिट आवेदन के पैराग्राफ '14' में अनियंत्रित प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि मोती लाल यादव और प्रेम प्रकाश यादव, जिन्हें आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उन्हें विभागीय पत्र संख्या 3874 दिनांक 01.06.2018 के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा एक विजय यादव को संबंधित विभाग के निर्णय द्वारा पत्र संख्या 2716 दिनांक 24.04.2020 द्वारा उसी तरीके से रिहा कर दिया गया था।

7.9. यह अदालत, प्रदीप कुमार के मामले में **श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** (ऊपर), विचार करते हुए अधिसूचना संख्या 3106 का खंड (iv) (के) और (के) इसके निर्णय के पैराग्राफ '10' और '11' में निम्नानुसार है:-

“10. अनुलग्नक 'क' को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उपखंड (ख) के तहत गणना किए गए मामलों की श्रेणी वे मामले हैं जिनमें समय से पहले रिहाई के संबंध में नीति किसी भी विचार की अनुमति नहीं देती है। आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत किए गए अपराध को विशेष रूप से पैराग्राफ (iv) (का) के तहत प्रदान नहीं किया गया है, जिसे 'एजुस्टेड जेनरिस' यानी उसी पंख वाले पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के पक्षियों को पढ़ा जाना चाहिए। 2023 का डब्ल्यू. जे. सी. सं. 722 दिनांक। 24- 11-2023 10/17 व्याख्या के उस सिद्धांत के नियम और शब्द 'वीकेएफएन' को लागू करने से केवल बलात्कार, डकैती और आतंकवादी कृत्यों जैसे समान श्रेणी के अपराधों का अर्थ और समझ लिया जा सकता है। शायद इसी कारण से रिट आवेदन के पैराग्राफ '14' में उल्लिखित विजय यादव और अन्य के मामलों पर विचार किया गया होगा। इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के मामले पर विचार करते समय माफी बोर्ड।

याचिकाकर्ता ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया है और 10 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना और पैराग्राफ (iv) (का) का उल्लेख करके समय से पहले रिहाई के लिए अपनी प्रार्थना को खारिज कर दिया है। ”

“11. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उपखंड (के. ए.) को उपखंड (के. ए. ओ.) के साथ पढ़ा जाना चाहिए और केवल तभी माफी बोर्ड एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि किन मामलों में समय से पहले रिहाई का लाभ पॉलिसी के संदर्भ में दिया जा सकता है। वास्तव में इस स्थिति को महसूस करते हुए कि राज्य ने रिट आवेदन के पैराग्राफ '14' में दिए गए विशिष्ट बयानों से इनकार नहीं किया है, एक स्तर पर ए. सी. से ए. ए. जी.-3 ने यह भी प्रस्तुत किया कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए राज्य माफी बोर्ड को भेजा जा सकता है। ”

7.10. यह प्रदीप कुमार *श्रीवास्तव @ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव* (ऊपर) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '11' के खाली पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील उक्त रिट आवेदन के पैराग्राफ '14' में दिए गए विशिष्ट बयान को पूरा करने में असमर्थ थे और उन्होंने मामले को नए सिरे से

विचार के लिए राज्य माफी बोर्ड को भेजने के लिए प्रस्तुत किया था। प्रदीप कुमार के मामले में फैसला **श्रीवास्तव @ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** (ऊपर) ने हासिल कर लिया है।

7.11. इस स्तर पर, हम **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे। उक्त मामले में तथ्य समान थे। विद्वान एकल न्यायाधीश, उपरोक्त सभी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. पर विचार करने के बाद। 2002 की अधिसूचना, 2012 की नियमावली और पैराग्राफ 35, 36 और 37 में देखे गए प्रासंगिक नियमों के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:—

“35. इस न्यायालय ने पाया कि 2012 की नियमावली के नियम 481 (i) (a) पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की तारीख को 'आदि' शब्द की व्याख्या में कठिनाई, यदि कोई हो, पहले ही दूर हो चुकी थी। ' या 'एड' जो तारीख 10.12.2002 की छूट अधिसूचना के खंड (iv) (डी) के तहत हो रहा था। बोर्ड के लिए आई. पी. सी. 364 ए के तहत अपवाद सूची में दोषसिद्धि को पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, या तो दिनांकित आई. डी. 1 के खंड (iv) (डी) में या 2012 की प्रतिस्थापित नियमावली के तहत। बोर्ड के समक्ष ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध थे जिनसे पता चलता है कि आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत दोषियों के अन्य मामलों में बोर्ड ने समय से पहले रिहाई की अनुमति दी थी। बोर्ड का यह मामला नहीं है कि इस याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के मामले को 'आदि' शब्द में अस्पष्टता और अस्पष्टता की सराहना किए बिना तारीख 10.12.2002 की माफी अधिसूचना के खंड (iv) (d) के तहत खारिज कर दिया गया है। ' उक्त खंड में मौजूद 2012 की नियमावली में पहले ही हटा दिया गया था।

36. इसलिए इस न्यायालय ने पाया कि माफी बोर्ड ने न केवल याचिकाकर्ता को बिना कोई ठोस कारण बताए समय से पहले रिहा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, बल्कि यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के फैसलों के आधार पर भी है, जिन पर पूर्ववर्ती के रूप में विचार किया जाना था। 2012 की नियमावली के नियम

478 में स्पष्ट रूप से बोर्ड पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह राज्य सरकार या न्यायालयों द्वारा निर्धारित सजाओं की माफी के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखे, साथ ही मामले में पहले के उदाहरणों और बोर्ड के समक्ष सर्वोपरि विचार को ध्यान में रखे क्योंकि बोर्ड बड़े पैमाने पर समाज का कल्याण करता है, बोर्ड पटना उच्च न्यायालय सी. आर. नहीं होगा। आम तौर पर किसी कैदी की समय से पहले रिहाई को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि पुलिस ने उसकी रिहाई की सिफारिश नहीं की थी। इस मामले में वह आधार भी उपलब्ध नहीं था क्योंकि जिन सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा की थी, उन्होंने याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की थी।

37. इसलिए, दिनांकित 23.12.2020 कार्यवृत्त में निहित विवादित निर्णय टिकाऊ नहीं है। तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और इस मामले को बोर्ड को समयपूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें उन रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाता है जिन पर यहाँ ऊपर ध्यान दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा इस फैसले में की गई चर्चाओं में उदाहरणों का हवाला दिया गया है। ”

7.12. इस स्तर पर, यह अवलोकन करना प्रासंगिक है कि **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में, बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने और रद्द करने के बाद, जब इस अदालत ने संबंधित याचिकाकर्ता के समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को बोर्ड को भेज दिया, तो प्रतिवादी बोर्ड ने 27.11.2023 पर आयोजित बैठक में अजीत कुमार मिश्रा के मामले पर पुनर्विचार किया और उसके बाद समय से पहले रिहाई का लाभ दिया। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड ने वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान संबंधित याचिकाकर्ता, यानी अजीत कुमार मिश्रा को समयपूर्व रिहाई का लाभ दिया है। याचिकाकर्ता ने इस आशय का पूरक हलफनामा दायर किया है और अजीत कुमार मिश्रा के मामले में बोर्ड के फैसले को संलग्न किया है। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील उपरोक्त पहलू पर विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं।

7.13. इस स्तर पर, हम इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी संदर्भित करना चाहेंगे **राजो @ राजवा @ राजेंद्र मंडल** (ऊपर)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 और 25 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

23. इस अदालत ने, पहले के अवसर पर, दोषी की सजा के विभिन्न बिंदुओं पर प्रचलित विभिन्न माफी नीतियों/नियमों की स्थिति से निपटा था-यानी, जब दोषसिद्धि की तारीख और समय से पहले रिहाई के लिए विचार की तारीख पर नीति अलग होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दोषसिद्धि की तिथि पर प्रचलित नीति लागू होगी। हालाँकि, जगदीश (उपरोक्त) में यह भी माना गया था कि यदि विचार की तारीख को अधिक उदार नीति मौजूद है, तो लाभ प्रदान किया जाना चाहिए:

“43. [...] राज्य प्राधिकरण कम से कम दोषी द्वारा समझी गई एक ईमानदार अपेक्षा के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, उसके दोषसिद्धि के समय कि समय से पहले रिहाई के लिए उसके मामले पर सजा काटने के बाद विचार किया जाएगा, जो उस तारीख को मौजूद अल्प-सजा नीति में निर्धारित है। राज्य को किसी दोषी के पक्ष में उदारतापूर्वक माने जाने वाले किसी भी ऐसे लाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी छूट की शक्ति का प्रयोग करना होगा जो मामले-दर-मामले पर निर्भर हो सकता है और हमारी राय में उस उद्देश्य के लिए उसे ऐसी नीति से संबंधित होना चाहिए जो तत्काल मामले में प्रतिवादी के पक्ष में थी। यदि पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के मामले पर विचार करने की तारीख को एक उदार नीति प्रचलित होती है। “समय से पहले रिहाई के लिए, उसे इसका लाभ दिया जाना चाहिए। ”

25. इन निष्कर्षों और ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के आलोक में, यह उचित होगा कि माफी बोर्ड पुलिस और अन्य अधिकारियों की रिपोर्टों, याचिकाकर्ता के जेल के बाद के रिकॉर्ड, उसकी उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक जुड़ाव के लिए उसकी क्षमता पर

सकारात्मक तरीके से विचार करते हुए, माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से पुनर्विचार करे। संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को न्यायिक रिकॉर्ड की जांच करके समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक राय प्रदान करने और लक्ष्मण नस्कर (उपरोक्त) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर पर्याप्त तर्क प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इस नई रिपोर्ट के लाभ के साथ, माफी बोर्ड आवेदन पर पुनर्विचार कर सकता है—पूरी तरह से या पूरी तरह से उस पर भरोसा किए बिना, लेकिन इसे मूल्यवान (शायद भारी) सलाह के रूप में मान सकता है जो न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही लंबे समय तक कारावास और उसकी उम्र को देखते हुए, माफी बोर्ड को आवेदन पर जल्द से जल्द विचार करने और इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय देने का प्रयास करना चाहिए। इस निर्णय की एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा बिहार सरकार के गृह सचिव, जो माफी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, के साथ-साथ संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायिक पंजीयक के माध्यम से चिह्नित की जाएगी। ”

7.14. इस स्तर पर, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण पर भी विचार करना चाहेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के सह-दोषी के मामले में, अर्थात्, चित्रंजन कुमार @बबलू, बोर्ड ने इसी तरह का निर्णय लिया और इस तरह समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय को सह-दोषी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। यह भी तर्क दिया जाता है कि उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और इसलिए, याचिकाकर्ता समय से पहले रिहाई का दावा करने का हकदार नहीं है।

7.15. हमारा विचार है कि उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले, इस कारण से कि प्रदीप के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश कुमार **श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** (ऊपर), जो एक रिपोर्ट किए गए निर्णय में समान रूप से स्थित कैदी के मामले पर विचार किया गया है, जिसे आईपीसी की धारा 364 ए के तहत भी दोषी ठहराया गया है और इसी आधार पर 2002 की अधिसूचना पर भरोसा करते हुए, उक्त याचिकाकर्ता के मामले पर भी बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2012, 1984 की नियमावली के साथ-साथ 2002 की अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा लिए गए इसी तरह के निर्णय को रद्द कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि मामले में लिया गया निर्णय **प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** (उपर्युक्त) ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और वास्तव में बोर्ड ने पटना उच्च न्यायालय को सी. आर. दिया है। उक्त दोषी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की समय से पहले रिहाई का लाभ।

7.16. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता, चित्रंजन कुमार @बबलू के सह-दोषी के मामले में बहस करते हुए, प्रत्यर्थियों ने दिए गए फैसले को प्रस्तुत नहीं किया **प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @प्रदीप कुमार श्रीवास्तव** का मामला (ऊपर) इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, इसलिए, एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने अलग दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार याचिकाकर्ता के सह-दोषी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, इस प्रकार, हमारा विचार है कि चित्तरंजन कुमार @बबलू के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय को कहा जा सकता है इनक्यूरीयम के अनुसार।

7.17. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जबकि वर्तमान याचिका को एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, उक्त विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो अलग-अलग विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा लिए गए दो परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया।

7.18. इस स्तर पर आगे जो विकास हुआ था, उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में इसी मामले में एक बार फिर विद्वान एकल न्यायाधीश ने नए पटना उच्च न्यायालय सी. आर. पर विचार करने के बाद बोर्ड के इसी तरह के फैसले को रद्द कर दिया है। 2012 की नियमावली के अनुसार सरकार की नीति। **अजीत कुमार मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रद्द कर दिया और बोर्ड के फैसले को दरकिनार कर

दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए बोर्ड को भेज दिया और उसके बाद बोर्ड ने नवंबर, 2023 में आयोजित बैठक में उक्त कैदी को समय से पहले रिहा करने का लाभ दिया।

8. निष्कर्ष:-

8.1. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **प्रदीप कुमार श्रीवास्तव @ प्रदीप कुमार** का मामला श्रीवास्तव (ऊपर) के साथ-साथ **अजीत कुमार मिश्रा** (ऊपर) एक सही दृष्टिकोण है और वास्तव में प्रतिवादी राज्य ने उक्त निर्णय को लागू किया है। इस प्रकार, उक्त निर्णयों को अंतिम रूप मिल गया है।

8.2. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सजा माफी बोर्ड द्वारा लिए गए दिनांकित 09.09.2022 के विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता के समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार करने के लिए यह मामला बोर्ड को भेजा जाता है, जिसमें उन रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाता है जिन पर ऊपर ध्यान दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा इस फैसले में पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए की गई चर्चा को ध्यान में रखा जाता है। प्रतिवादी बोर्ड नया निर्णय लेगा और अंतिम आदेश पटना उच्च न्यायालय सी. आर. पारित करेगा। इस निर्णय और आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।

9. इसलिए इस रिट याचिका की अनुमति है।

(विपुल एम. पंचोली, जे)

(सुनील दत्ता मिश्रा, जे)

पवन/-

खंडन (डिस्ट्रिक्चर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।